रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 237] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 9, 1977/ज्येष्ठ 19, 1899
No. 237] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 9, 1977 JYAISTHA 19, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June 1977

S.O. 390(E).—Whereas an election petition under sub-section (1) of section 5 of the Disputed Elections (Prime Minister and Speaker) Act, 1977 (16 of 1977), calling in question the election of Shri Morarjibhai Ranchhodjibhai Desai from 24-Surat Parliamentary Constituency in the State of Gujarat has been presented to the Election Commission by Shri Jashwant Chauhan, a candidate at that election,

And whereas under the said Act it is necessary that the petition aforesaid should be tried by an Authority consisting of a single member who is a Judge of the Supreme Court,

And whereas the Chief Justice of India has, under sub-section (2) of section 4 of the said Act, nominated Shri Justice P N. Bhagwati, for this purpose,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby constitutes the said Authority with Shri Justice P N Bhagwati as member to try the election petition against Shri Morarjibhai Ranchhodjibhai Desai

[No. F. 23(5)/77-Leg.II]
K K SUNDARAM, Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 1977

का० आ० 390 (अ).—विवादग्रस्त निर्वाचन (प्रधान मंत्री और अध्यक्ष) अधिनियम, 1977 (1977 का 16) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन एक निर्वाचन याचिका, जिसमें गुजरात राज्य में 24—सूरत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से श्री मोरारजी भाई रणछोड़जीभाई देसाई के निर्वाचन को प्रश्नगत किया गया था, उस निर्वाचन के एक अभ्यर्थी श्री जसवन्त चौहान द्वारा निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई है,

और उक्त अधिनियम के अधीन यह आवश्यक है कि उपर्युक्त याचिका का विचारण एक ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें केवल एक सदस्य हो जोकि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो,

और भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन, इस प्रयोजन के लिए श्री न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती को नामनिर्देशित किया है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री मोरारजीभाई रणछोड़जीभाई देसाई के विरुद्ध निर्वाचन याचिका का विचारण करने के लिए उक्त प्राधिकारी का, जिसमें सदस्य के रूप में श्री न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती होंगे, गठन करती है ।

[सं० फा० 23(5) 77-वि०-2]

के० के० सुन्दरम्, सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977